कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी भीकनगाँव (सामान्य)

तहसील भीकनगाँव, जिला खरगोन (म.प्र.) E-mail sdoFTbhikangaon@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/227 भीकनगाँव, दिनाँक 30/01/2023

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय,
वनमण्डल खरगोन (सामान्य)

विषय :- 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला अर्जुन फाल्या, मुरम्या में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बाबत्।

संदर्भ :- 1) आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/9580 खरगोन दिनाँक 20.12.2022।
2) वन परिक्षेत्र चिरिया का पत्र क्रमांक/2023/83 चिरिया दिनांक 25.01.2023।

--------0000--------

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला अर्जुन फाल्या, मुरम्या में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/VELEC/154524/2022 की जाँच वन परिक्षेत्र अधिकारी चिरिया एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियो के साथ रहकर प्रभावित वनभूमि का मौका स्थल का निरीक्षण दिनाँक 20.01.2023 को किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी, चिरिया के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 83 दिनाँक 25.01.2023 को अवलोकन करने पर पाया गया कि, 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला अर्जुन फाल्या, मुरम्या में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव के अन्तर्गत बीट पालधा के कक्ष क्रमांक 943 में जाँच के दौरान 03 नग पोल वनक्षेत्र अन्तर्गत होना पाया गया है, शेष 02 नग पोल वनक्षेत्र से लगी राजस्व भूमि में होना पाया गया है। जिसकी लम्बाई 150 मीटर एवं चौड़ाई 07 मीटर में कुल वास्तविक रकबा 0.105 हेक्टर वनभूमि प्रभावित होना प्रस्तावित है। प्रथम पोल की जी.पी.एस.रिडिंग N-21°44'25.00" E-76°04'59.00", द्वितीय पोल N 21°44'26.00" E-76°04'59.00", तृतीय पोल N-21°44'28.00" E-76°05'03.00" है। प्रस्तावित वनभूमि का मौका स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

1. प्रस्तावित योजना स्थल के 02 फोटोग्राफ पत्र के साथ पृथक से संलग्न है।
2. योजना से प्रभावित वनभूमि की कक्षवार लम्बाई एवं चौड़ाई की गणना कर पृथक से संलग्न है।
3. प्रस्तावित वनक्षेत्र में वन्य प्राणियों की गणना का विवरण (विगत वन्य प्राणी गणना के अनुसार) वन्य प्राणियों के नाम एवं संख्या सहित पृथक से संलग्न है।
4. ऐतिहासिक/पुरातत्व धरोहर न होने का प्रमाण-पत्र पृथक से संलग्न है।
5. वन संरक्षण अधिनियत 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र पृथक से संलग्न है।
6. प्रस्तावित योजना के कियान्वयन पर औचित्यपूर्ण टीप पृथक से संलग्न है।
7. न्यूनतम उपयोगिता प्रमाण-पत्र पृथक से संलग्न है।

अतः वन परिक्षेत्र अधिकारी चिरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन मय दस्तावेज से सहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मा. चि

D.F.O. Khargone

917
31-1-23

(दिनेश वास्केल)
उप वनमण्डल अधिकारी
भीकनगाँव

Scanned with CamScanner

CHIRIYA RANGE

COMP NO. : 943

KHARGONE DIVISION

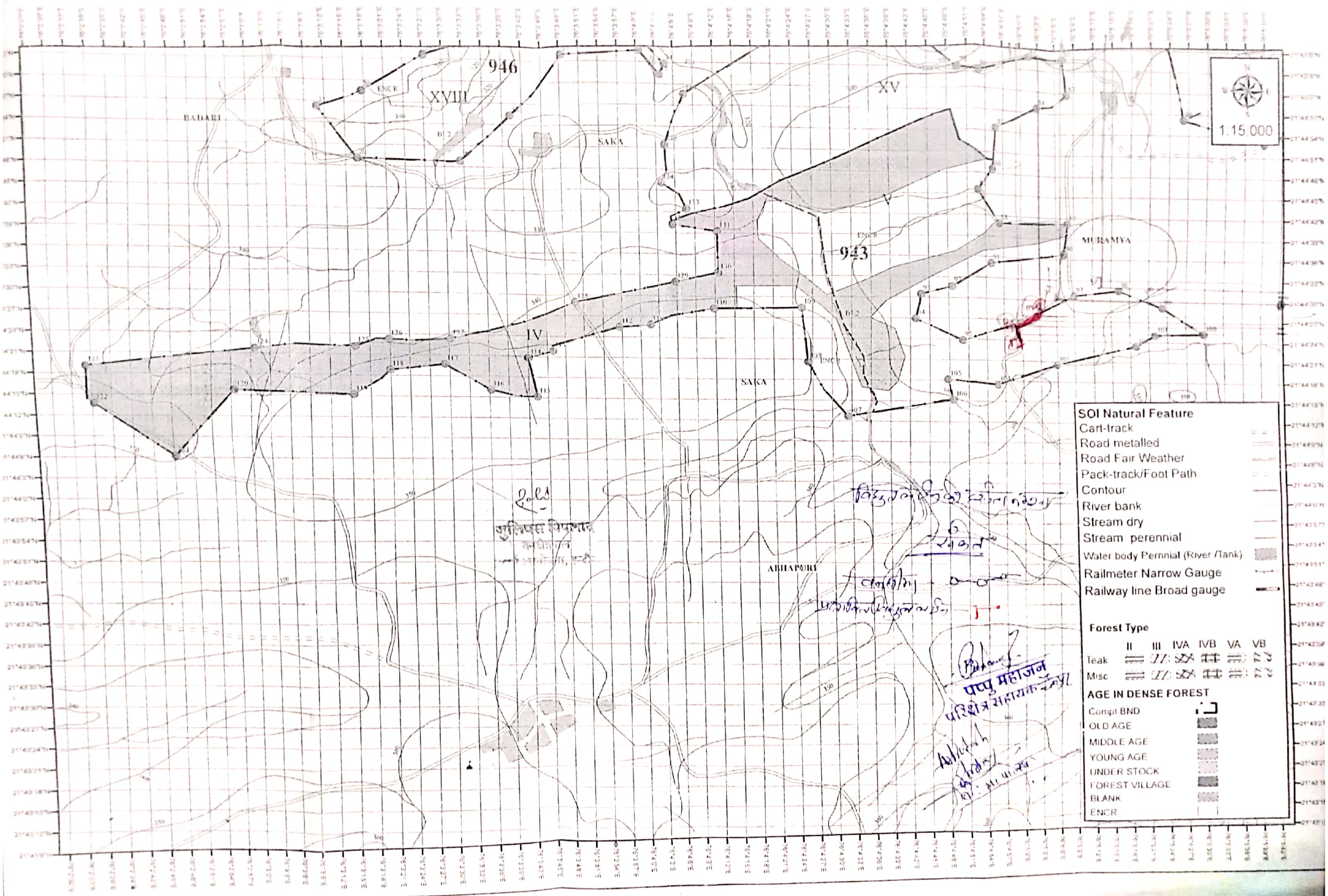

Scanned with CamScanner